प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में भारतीय रेल में लौह अयस्क यातायात के परिवहन से संबंधित दोहरी मालभाड़ा नीति की कार्यप्रणाली के अध्ययन से उद्भूत लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं।

यह प्रतिवेदन रेल मंत्रालय, क्षेत्रीय और प्रभागीय रेल संचलन, लदान और उतराई बिंदुओं और कार्यकारी निदेशक कार्यालय, रेल संचलन, रेलवे बोर्ड कार्यालय कोलकाता से संबंधित फाईलों और दस्तावेजों की संवीक्षा से बनी है। इसके अतिरिक्त, कंपनी मामलों से संबंधी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कंपनियों के वार्षिक लेखों के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा आपूर्त कराये गये लौह अयस्क का परिवहन करने वाली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई उत्पाद शुल्क रिटर्नों की जांच की गई।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई है।

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर रेल मंत्रालय से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।